न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :—114/2017 प्रार्थना पत्र
श्री गोरधन पिता लादू माली, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———प्रार्थी

बनाम

1—श्री बक्षु पिता नगजी तेली, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2—श्री गंगाराम पिता नगजी तेली, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3—श्री बंशी पिता नगजी तेली, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—श्री मैसर्स लक्ष्मी एग्रीकल्चर्स काबरा सदन आर्य समाज मंदिर रोड़, भीलवाड़ा रजिस्टर्ड नम्बर 061 जरिये साझेदार भैरूलाल पिता जमनालाल काबरा निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (डिलिट किया गया)
5—श्री उदयराम पिता माधूलाल माली, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
6—श्रीमति गंगाबाई बेवा नारायण माली, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—15.2.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर, भू—अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 712 रकबा 14 बिस्वा, 713 रकबा 1 बीघा, 719 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 5, 6, व 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 5, 6 व 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 12.2.2018 को प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 को दिनांक 12.2.2018 को स्वीकार किया गया। तथा विपक्षी संख्या 4 का नाम वाद शीर्षक में से डिलिट किया गया ।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 712 रकबा 14 बिस्वा, 713 रकबा 1 बीघा, 719 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरग़ढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner